

Issued through e-mail Only

Reminder-1

सेवा में

- सभी जिलों के सहायक शिक्षता सलाहकार/प्रधानाचार्य,
- सभी प्रधानाचार्य/वर्गअनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय आई.टी.आई./राजकीय आई.टी.आई. (महिला) संस्थान, हरियाणा राज्य में।

यादि क0:- केसी/टी/एपीपी/प्रोत्साहन भत्ता/2017/793  
दिनांक: 07-06-2017


विषय:- शिक्षता योजना में लगे स्टाफ को प्रोत्साहन भत्ता देने बारे।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क0 केसी/टी/एपीपी/प्रोत्साहन भत्ता/2017/485 दिनांक 10.01.2017 तथा 664 दिनांक 12.05.2017 के संदर्भ में।

आपको उक्त संदर्भित पत्रों अनुसार निर्देश दिए गये थे कि शिक्षता कार्य में लगे कितने स्टाफ को छात्र-निधि में से प्रोत्साहन भत्ते का लाभ प्रदान किया गया है, सूचना दो दिन के अन्दर-2 भेजें। परन्तु अभी तक आप द्वारा उक्त बारे कोई सूचना निदेशालय को नहीं भेजी है।

आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि शिक्षता कार्य में लगे स्टाफ को यदि छात्र-निधि में से प्रोत्साहन भत्ते का लाभ प्रदान किया गया है तो उसकी रिपोर्ट दिनांक ~~12~~ 12.06.2017 सांय 4:00 बजे तक ई.मेल [aaa.itiharyana@gmail.com](mailto:aaa.itiharyana@gmail.com) पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जाएगा कि आप द्वारा किसी भी कर्मचारी को यह भत्ता नहीं दिया गया है।



उप-शिक्षता सलाहकार,  
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

C.C.:-

Nodel Officer website.